आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
27/3/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 49/2013** **चन्द्रावती देवी बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 4755/2014 चन्द्रावती देवी बनाम राज्य एवं अन्य को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के आदेश ज्ञापांक 700 दिनांक 11.9.13 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण से प्राप्त श्री महेश्वर सिंह एवं अन्य ग्रामीण जनता ग्राम कौरू धौरू द्वारा दिए गए परिवाद पत्र के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रिविलगंज द्वारा ग्राम पंचायत कौरू धौरू के जन वितरण विकेता चन्द्रावती देवी के विरूद्व आरोपों की जॉच दिनांक 3.4.13 को की गई। जॉचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया कि जॉच के समय दुकान खुली थी, परन्तु विकेता अनुपस्थित थी। दुकान से संबंधित पंजियों को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा राशन किरासन वितरण में अनियमितता पायी गयी, जिसके संबंध में उपस्थति उपभोक्ताओं द्वारा बयान भी दिया गया। उक्त अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। विकेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को तथ्यहीन बताते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रिविलगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि उक्त तिथि को राज्य खाद्य निगम गोदाम से	

बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय खाद्यान्न का उठाव करने सभी पंजियों के साथ गोदाम पर गयी थी, जिसके कारण अपीलार्थी की मुलाकात जॉच पदाधिकारी से नहीं हो सकी थी, जिसके कारण पंजियॉ उन्हें उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। अपीलार्थी द्वारा पंजियों का संधारण नियमित रूप से किया जाता है। यह भी बतलाया गया कि निर्धारित मात्रा से कम एवं अधिक मूल्य पर आपूर्ति करने का आरोप निराधार एवं सत्य से परे है। निर्धारित मात्रा से कम आपूर्ति होने का आरोप कतिपय उपभोक्ताओं द्वारा भ्रमवश लगाया गया है। यह भी बतलाया गया कि अपीलार्थी नियमित रूप से किरासन तेल का उठाव संबंधित उपभोक्ताओं के बीच पंचायत स्तरीय गठित निगरानी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निर्धारित दर एवं मात्रा में वितरण किया गया है। प्रत्येक माह तेल /खाद्यान्न वितरण के पश्चात् पंचायत के मुखिया द्वारा भंडार का सत्यापन भी किया गया है, जिसके साक्ष्य स्वरूप पंजी की छायाप्रति संलग्न है। यह भी बतलाया गया कि राज्य खाद्य निगम, छपरा के द्वारा जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक खाद्यान्न का मूल्य विक्रेताओं के द्वारा जमा किए जाने के बावजूद खाद्यान्न की ससमय आपूर्त्ति नहीं की गयी है, जिस कारण इसका वितरण जनवरी 2013 से बाधित रहा है। अपीलकर्त्ता के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए उनके द्वारा अनुज्ञप्ति बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के द्वारा Speaking order पारित नहीं किया गया है। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 642 /न्यायालय, दिनांक 24/4/2014
प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को संबंधित LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
प्रभारी जिला विधि शाखा, सारण